

**बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग,**

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (उच्च शिक्षा)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक /

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत भोजपुरी अकादमी, मैथली अकादमी, मगही अकादमी, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, बंगला अकादमी तथा संस्कृत अकादमी को सहायक अनुदान की स्वीकृत राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21 अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में भोजपुरी अकादमी, मैथली अकादमी, मगही अकादमी, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, बंगला अकादमी, तथा संस्कृत अकादमी को सहायक अनुदान मद में स्वीकृत राशि का आवंटन निम्न विवरणी अनुसार आवंटित की जाती है :-

विवरणी

क्र० सं०	मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष	उपशीर्ष	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2202- सामान्य शिक्षा	80- सामान्य	004- अनुसंधान	0019- भोजपुरी अकादमी	21-2202800040019	31.04-सहायक अनुदान-वेतन	0	1,10,00,000	1,10,00,000
2				0012- मैथली अकादमी	21-2202800040012	31.04-सहायक अनुदान-वेतन	0	38,00,000	38,00,000
3				0015- मगही अकादमी	21-2202800040015	31.04-सहायक अनुदान-वेतन	0	60,00,000	60,00,000
4				0009- हिन्दी ग्रन्थ अकादमी	21-2202800040009	31.04-सहायक अनुदान-वेतन	0	1,63,00,000	1,63,00,000
5				0016- बंगला अकादमी	21-2202800040016	31.04-सहायक अनुदान-वेतन	0	31,25,000	31,25,000
6				0017- संस्कृत अकादमी	21-2202800040017	31.04-सहायक अनुदान-वेतन	0	70,93,000	70,93,000
							कुल राशि :-		
कुल 4,73,18,000/- (चार करोड़ तिहत्तर लाख अठारह हजार रू०) मात्र।									

- मासिक व्यय विवरणी प्रतिमाह अवश्य भेजी जाए। टी0भी0 नम्बर के साथ विपत्र एवं निकासी की वास्तविक निधि एवं तिथि अवश्य अंकित करें।
- मितव्ययिता अवश्य बरतें।
- पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।

5. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 354 दिनांक-28.03.2018 तथा पत्रांक-6903, दिनांक-13.09.2018 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
6. प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत एवं सेवा निवृत्त कर्मियों को भुगतान करें।
7. उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-67 दिनांक-05.11.2018 के आलोक में आवंटित है।
9. उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-67 दिनांक-05.11.2018 में उल्लिखित प्रावधानों एवं शर्तों के आलोक में ही व्यय किया जाय।
10. सभी अकादमी स्वीकृत सहायक अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को निर्धारित अवधि में भेजना सुनिश्चित करें।
11. राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा), शिक्षा विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित अकादमियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह0/-

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक:- 08/11/2018

ज्ञापांक :- 64
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, (उच्च शिक्षा)/उप सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-5,14 एवं 15/कार्यवाहक सहायक/लेखापाल, उच्च शिक्षा (दो प्रतियों में)/आई0 टी0 मैनेजर शिक्षा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।